Vetted

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक– 26.11.18

संख्याः–12/लि0से0–03–05/2018 का0 8504 /– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0–4447 दिनांक–26.07.2010 के द्वारा गठित झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के नियम–15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली के नियम–7(3) में किये गये प्रावधान के संदर्भ में झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :–

"झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली के नियम–7(3) के प्रावधानानुसार निम्नवर्गीय लिपिक के अधिकृत बल के 85% पद, जिन पर आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति की जानी है, के अन्तर्गत ही, ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रित को अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर अनुकंपा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।"

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

26/11/18

(के.के.खण्डेलवाल)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–12/लि0से0–03–05/2018 का0 8504/ राँची, दिनांक– 26.11.18

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

26/11/18

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–12/लि0से0–03–05/2018 का0 8504/ राँची, दिनांक– 26.11.18

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव कार्यालय एवं उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–14), कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/18

अपर मुख्य सचिव